

## असम सरकार द्वारा NRC के पुनर्सत्यापन की मांग

### प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय नागरक रजस्रर, डी-वटर

### मेन्स के लयः

राष्ट्रीय नागरक रजस्रर और वदशी अधकरण से जुड़े मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2019 में जारी 'राष्ट्रीय नागरक रजस्रर' (National Register of Citizens- NRC) में शामिल 10-20% नामों के पुनः सत्यापन की अपनी मांग को दोहराया है।

## प्रमुख बडुः

- जुलाई, 2019 में असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर कया था, जसमें राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा से सटे ज़िलों से NRC में शामिल 20% नामों और शेष ज़िलों से 10% नामों के पुनः सत्यापन कये जाने की मांग की थी।
- हालाँक असम के एनआरसी समन्वयक (NRC Coordinator) द्वारा 27% नामों के पुनर्सत्यापन की बात कहे जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की मांग को खारज कर दया था।
- ध्यातव्य है क वरष 2018 के एक नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः सत्यापन की संभावना का उल्लेख करते हुए कहा था क वरष NRC में शामिल 10% नामों को पुनः सत्यापन करने पर वचर कर सकता है।
- गौरतलब है क अगस्त 2019 में प्रकाशत NRC में 19 लाख लोगों को इस रजस्रर से बाहर कर दया गया था।

## NRC की प्रक्रया का प्रभावः

- असम सरकार द्वारा वधान सभा में प्रस्तुत कये गए आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में सक्रय वदशी अधकरणों (Foreigners' Tribunals) द्वारा अब तक 1,36,149 लोगों को वदशी नागरक घोषत कया जा चुका है।
- साथ ही 13 मार्च, 2013 से लेकर 31 जुलाई 2020 के बीच केवल 227 वदशी नागरकों को नरवासत कया गया है।
- गौरतलब है क वर्तमान में असम राज्य में 100 वदशी अधकरण सक्रय हैं।
- वर्तमान में कुल 425 लोगों को राज्य के 6 अलग-अलग नररध केंद्र अथवा डरेशन सेंटर (Detention Centre) में रखा गया है।

## पुनर्सत्यापन की आवश्यकताः

- राज्य सरकार ने लोगों द्वारा सही NRC की मांग को पुनर्सत्यापन का प्रमुख आधार बताया है।
- वर्तमान में NRC से बाहर 19 लाख लोगों को 'अस्वीकृत आदेश' (Rejection Order) भी नहीं जारी कया जा सका है।
  - गौरतलब है क यह आदेश लोगों को अपने बहर्षकार के खिलाफ वदशी अधकरण में अपील की अनुमत प्रदान करेगा।
- सरकार के अनुसार, COVID-19 और राज्य में बाढ़ की चुनौतयों के कारण लोगों को 'अस्वीकृत आदेश' जारी करने की प्रक्रया बाधत हुई है।

## डी-वटर की समस्याः

- असम सरकार के अनुसार, राज्य के वभन्न वदशी अधकरणों के समक्ष 'संदगध' (Doubtful) या 'डी-वटर' (D-Voter) के 83,008 मामले लंबत हैं।
- डी-वटर ऐसे लोगों की सूची है जन्हें नरवाचन आयोग द्वारा वदशी नागरक होने के संदेह के आधार पर असम की मतदाता सूची से बाहर कर दया गया

है।

- ऐसे मामलों को वदिशी अधकिरणों के पास भेजा जाता है जो उनकी नागरकिता के संदरभ में नरिणय लेती है।

## राष्ट्रीय नागरकि रजसिटर'

### (National Register of Citizens- NRC):

- राष्ट्रीय नागरकि रजसिटर या एनआरसी एक ऐसा रजसिटर है जसिमें भारतीय नागरकिों के वविरण को शामिल कयिा गया है।
- राष्ट्रीय नागरकि रजसिटर को सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार कयिा गया था।
- NRC को अद्यतन या अपडेट (Update) करने की प्रक्रिया वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक नरिणय के बाद शुरू की गई।
- असम में NRC में ऐसे लोगों को शामिल कयिा जाएगा जो ये प्रमाणति कर सकें कविे 24 मार्च, 1971 से पहले भारत के नागरकि रहें हों।

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/assam-govt-firm-on-nrc-re-verification-demand>

